

अज अदालत

मुकाम

बनाम

मुकदमा

नम्बर

वर्ष

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

18/11

वकूलाय 3481 वकील प्रार्थी शेष न्यायिक
9 व 11 की तमिल को इववकड का है को
पत्रावली पेश की पत्रावली दिनांक 12/11/18 को
पेश की

मुकदमा नम्बर- 01/2018


सायर सिंह बनाम सुण्डाराम वगैर

12/11/2018

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। वकील प्रार्थी की ओर से जवाब उत्तर प्रार्थना पत्र मय काउन्टर टी.आई. को पेश हुआ। नकल अप्रार्थी वकील को दिलायी गयी। वकूलाय को सुना गया। वकील प्रार्थी ने बताया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है। अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई. से पाबन्द किया हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायहीन में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है की पूर्व में दिनांक 02.01.2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)